न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प सराणा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 35 / 2018

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1 ओमप्रकाश पुत्र चनणाराम , गुरु
2 सांवलराम पुत्र चनणाराम गुरु
3 सीताराम पुत्र चनणाराम , गुरु
4 श्रीमती देवी बेवा चनणाराम गुरु
निवासीयान सराणा

1 हीराराम पुत्र लाखाराम गुरु
2 अर्जुनराम पुत्र मोडाराम गुरु
3 हस्तीमल पुत्र मोडाराम गुरु
निवासीयान सराणा
4 नरेगा अधिकारी पंचायत समिति
बालोतरा
5 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भूमि
धारक तहसीलदारजी तहसील पचपदरा
6 हल्का पटवारी सराणा

उप खंड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 रा.क.अधि.स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

उपस्थित : वादीगण दिनांक : 27.06.2018

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके प्रतिनिधी एजेन्ट इत्यादी वादीगण के शामलाती कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सराणा पटवार क्षैत्र सराणा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 1467 / 381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा किस्म बारानी अव्वल व बंटवाड़ा मुताबिक रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली कृषि भूमि खसरा संख्या 1468 / 381 रकबा 5 विस्वा 13 विस्वान्सी के हक–हिस्से की भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग, कब्जा कास्त में किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप,बाधा,अवरोध,तोड़ फोड़, आदि कभी भी कारित नही करे और न ही वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा ही करे और न अन्य किसी से ऐसा करावे एवं वादग्रस्त भूमि के वर्तमान रेकर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण रोड़ हेतु ग्रेवल इत्यादी न डालकर रोड़ का पक्का निर्माण कार्य की न करें।

वादी वकील की बहस सुनी गई वाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। मौजा सराणा खसरा नंबर 1467 / 381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा किस्म बरानी अवल व खसरा नम्बर 1468 / 381 रकबा 17 विस्वा बारानी अवल वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण मौके पर रास्ते की भूमि से परे वादग्रस्त कृषि भूमि में बिना कोई सीमाज्ञान पत्थरगढी व माप तोल किये ही रास्ते हेतु ग्रेवल डालकर रोड़ का पक्का निर्माण कार्य करने को तत्काल आमदा है उक्त भूमि खातेदारी की कृषि भूमि है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1467 / 381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा व खसरा नंबर 1468 / 381 रकबा 5 विस्वा 13 विस्वान्सी में सड़क निर्माण नही करे व वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018

Scanned by CamScanner

कारित नही करे। बाद सीमाज्ञान करवा कर रास्ते की भूमि पर सड़क निर्माण किया जावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सराणा में खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प सराणा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. सराणा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)

अज अदालत– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प सराणा
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

<u>वादीगण</u>	बनाम	<u>प्रतिवादी</u>
1 ओमप्रकाश पुत्र चनणाराम , गुरु 2 सांवलराम पुत्र चनणाराम गुरु 3 सीताराम पुत्र चनणाराम , गुरु 4 श्रीमती देवी बेवा चनणाराम गुरु निवासीयान सराणा		1 हीराराम पुत्र लाखाराम गुरु 2 अर्जुनराम पुत्र मोडाराम गुरु 3 हस्तीमल पुत्र मोडाराम गुरु निवासीयान सराणा 4 नरेगा अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा 5 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भूमि धारक तहसीलदारजी तहसील पचपदरा 6 हल्का पटवारी सराणा

<u>वाद बाबत अन्तर्गत धारा 188 रा.क.अधि.स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 35 / 2018 दिनांक : 27.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1467 / 381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा व खसरा नंबर 1468 / 381 रकबा 5 विस्वा 13 विस्वान्सी में सड़क निर्माण नही करे व वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध कारित नही करे। बाद सीमाज्ञान करवा कर रास्ते की भूमि पर सड़क निर्माण किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प सराणा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. सराणा

Scanned by CamScanner